न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/15/2023	2023/473	26–07–2023	24–07–2024

01– मनोहरी पुत्र श्री चिरंजी नाई निवासी ग्राम बखतपुरा तह0 व जिला अलवर।

– प्रार्थी

बनाम

1– भू आवंटन सलाहकार समिति अलवर जरिये उप जिला कलक्टर अलवर राज०।
2– भंवर सिंह पुत्र श्री छाजूसिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम बखतपुरा तह0 व जिला अलवर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4)
भू–आवंटन (कृषि प्रयोजनार्थ)
नियम, 1970

उपस्थितः–
01–श्री अशोक कुमार मुदगल – वकील प्रार्थी
02–श्री ओमानन्द चौधरी –वकील अप्रार्थी

निर्णय

वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) उप जिला कलक्टर अलवर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 17.09.1975 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम बख्तपुरा तह0 व जिला अलवर की आराजी गत आराजी खसरा न0 100 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा हाल आराजी खसरा न0 177 रकबा 0.23 है0 व ख0नं0 178 रकबा 0.15 है0 भूमि का आंवटन गलत तरीके से गैरसायल संख्या– 2 के नाम किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हाल खसरा नम्बर 177, 178 जिसका साबिक खसरा नम्बर 100 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बखतपुरा तहसील व जिला अलवर में स्थित है। आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 17.09.1975 को साबिक खसरा नम्बर 100 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा किरम बारानी भंवरसिंह पुत्र श्री छाजूसिंह जाति राजपूत को आवंटन बिना मौके की जांच किये व बिना मौका देखे आवंटन कर दिया गया था। वक्त आवंटन खसरा नम्बर 100 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि मौका पर खाली नहीं थी, ओक्यूपेड लैण्ड का आवंटन नियम संगत नहीं है और ना ही अलोटी लैण्डलेस पर्सन है। साबिक खसरा नम्बर 100 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर सायल का कब्जा काश्त बिश्वेदार के समय से लगातार बिना रूकावट व मजाहमत के आज तक चला आ रहा है, सायल व उसके परिवार ने एक कुंआ भी स्वयं के खर्चे से उक्त आराजी पर 30 वर्ष पूर्व तामीर कराया हुआ है जिस पानी से सायल साबिक खसरा नम्बर 100 मिन हाल खसरा नम्बर 177,178 पर आबपॉशी कर रहा है। अनओक्यूपाईड लैण्ड श्रेणी में ही आवंटन की भूमि आती है। मुताबिक खसरा गिरदावरी सवंत 2016 खसरा नम्बर 13 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 2029 के खसरा नम्बर 100 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर सायल चिरंजी पुत्र पन्ना की कब्जे काश्त दर्ज है। खसरा परिवर्तन संवत 2036 में खसरा नम्बर 100 मिन पर चिरन्जी पुत्र पन्ना की काश्त दर्ज है, सायल के पिता द्वारा राजकीय शास्ती भी अदा की गई है। उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 100 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 177, 178 वाकै ग्राम बखतपुरा तहसील व जिला अलवर पर सायल के पिता चिरन्जी सन् 1960 से काबिज है, उनकी मृत्यु के पश्चात हम उनके वारीसान काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, 30 वर्ष पूर्व एक कुंआ भी इसमें तामीर किया गया है जिससे हम आबेंपाशी कर रहे हैं। बन्दोबस्त विभाग द्वारा मौके के विपरीत गैरसायल संख्या– 2 को सन् 1996 में 21 वर्ष पश्चात् हमारी कब्जेशुदा आराजी पर खातेदारी दे दी गई थी, जबकि मौके पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हम आज भी काबिज हैं और इस प्रकार कब्जा के विपरीत उक्त खातेदारी दे दी गई। प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी हाल गिरदावरी 2036 खसरा परिवर्तनशील 2036 आवंटन आदेश 1975, जमान्दी 2035, मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत है, मिलान क्षेत्रल 2020 व गिरदावरी 2016 जीर्ण होने के कारण नकल प्रस्तुत नहीं की जा रही है। न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त आवंटन जो मोका के खिलाफ व ओक्यूपेड लैण्ड का किया गया है आवंटन निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये। उपरोक्त आराजी माननीय श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, अत प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नियम विरूद्ध आवंटन साबिक खसरा नमबर 100 मिन रकबा 2 बीघार 10 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 177 व 178 वाके ग्राम बखतपुरा तहसील व जिला अलवर आवंटन वर्ष 1975 निरस्त फरमाये जाने की आज्ञा फरमाये।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आवंटन के 45 वर्ष बाद पेश किया गया है। उक्त संबंध में कोई विधिवत कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा दफा 05, मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी सं0 02 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के कारण अप्रार्थी संख्या 02 का आवंटन आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्रार्थी सं0 02 को भूमि आवंटित की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी द्वारा पेश नजीरें RRT 2023(1) Page 559, RRT 2023 (2) Page 1218 पेश की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 17.09.1975 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 दिनांक 23.11.2020 को पेश किया है जो करीब 45 वर्ष विलंब से पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। उक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में अप्रार्थी द्वारा पेश नजीर RRT 2023(1) Page 559, RRT 2023 (2) Page 1218 पूर्णतयाः चस्पा होती हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.09.1975 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)